डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 22/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 22/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक परिसर,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003.

जारी करने की तारीख : 06 अक्तूबर, 2021

जयपुर (जेआईए), त्रिवेन्द्रम (टीवीएम) और गुवाहाटी (जीएयू) के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के संबंध में मौजूदा टैरिफ वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था के मामले में–नए प्रचालक मैसर्स अडानी द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करना।

ऐरा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के निम्नलिखित हवाईअड्डों के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रभार निर्धारित कर दिए हैं। प्राधिकरण ने भारत सरकार द्वारा ईंधन थ्रूपुट प्रभार (एफटीसी) समाप्त (15 जनवरी, 2020 से समाप्त) कर इसके बदले अतिरिक्त लैंडिंग प्रभार के लिए अलग टैरिफ आदेश भी जारी किया है। विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका -I

क्र. सं.	**हवाईअड्डा और हवाईअड्डा प्रचालक का नाम**	**मौजूदा टैरिफ आदेशों का विवरण (द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए)**	
		वैमानिक प्रभारों के लिए (क)	एफटीसी समाप्त कर इसके बदले अतिरिक्त लैंडिंग प्रभारों के लिए (ख)
1.	एएआई, जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा	दिनांक 04.08.2017 का आदेश संख्या 10/2017-18	दिनांक 01.07.2020 का आदेश संख्या 18/2020-21
2.	एएआई, त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा	दिनांक 02.06.2017 का आदेश संख्या 03/2017-18	दिनांक 02.07.2020 का आदेश संख्या 25/2020-21
3.	एएआई, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी	दिनांक 16.02.20218 का आदेश संख्या 38/2017-18	दिनांक 01.07.2020 का आदेश संख्या 20/2020-21

2. मैसर्स अडानी ने दिनांक 27.08.2021 के अपने पत्र संख्या एजीआईएएल/सीओ/ऐरा-आईटी/2021/1, एटीआईएएल/सीओ/ऐरा-आईटी/2021/1 और एजीआईएएल/सीओ/ऐरा-आईटी/2021/1 द्वारा बताया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ऊपर उल्लिखित हवाईअड्डों के प्रचालन, प्रबंधन और विकास का कार्य करने के लिए पचास (50) वर्ष की अवधि के लिए उनका चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को यह भी पता लगा है कि एएआई और मैसर्स अडानी के बीच उपर्युक्त सभी हवाईअड्डों के लिए 19.01.2021को रियायत करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इन करारों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार वे अपनी संबंधित वाणिज्यिक प्रचालनों की तारीख (सीओडी) से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करेंगे। साथ ही यह भी कि ऊपर उल्लिखित सभी तीनों (3) हवाईअड्डों के लिए उन्होंने 25.08.2021 को भारत सरकार के साथ अपने समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

3. मैसर्स अडानी ने अपने पूर्वोक्त पत्र में यह भी बताया है कि उन्हें प्राधिकरण के विचारार्थ अपना बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) पेश करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और इसलिए उन्होंने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह ऐरा द्वारा टैरिफ का नियमित निर्धारण होने तक वाणिज्यिक प्रचालनों की तारीख से मौजूदा टैरिफ को जारी रखने की अनुमति दे।

4. मैसर्स अडानी ने दिनांक 27.09.2021 की ई-मेल द्वारा नीचे दी गई तालिका के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालनों की प्रस्तावित तारीख सूचित की है :-

तालिका -II

क्र. सं.	हवाईअड्डे का नाम	नए हवाईड्डा प्रचालक द्वारा वाणिज्यिक प्रचालनों की प्रस्तावित तारीख
1.	लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी	08 अक्तूबर, 2021
2.	जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर	11 अक्तूबर, 2021
3.	त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम	14 अक्तूबर, 2021

5. एएआई ने भी दिनांक 29/30.09.2021 की ई-मेल द्वारा अपने संबंधित हवाईअड्डों पर मैसर्स अडानी द्वारा सूचित की गई वाणिज्यिक प्रचालनों की उपर्युक्त तारीख की पुष्टि की है।

6. चूंकि मैसर्स अडानी द्वारा ऊपर उल्लिखित तीनों (3) हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा प्रचालक का कार्य ग्रहण करने और ऊपर बताई गई वाणिज्यिक प्रचालनों की तारीख (देखें: तालिका –II) से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की संभावना है, इसलिए प्राधिकरण ने नए रियायतग्राही को संबंधित हवाईअड्डों पर उनकी वाणिज्यिक प्रचालन की संबंधित तारीख से 31.03.2022 को समाप्त अवधि, या, तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का नियमित निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, मौजूदा टैरिफ वसूल करने और संग्रहित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) नए हवाईअड्डा प्रचालक, मैसर्स अडानी को उपर्युक्त तालिका-I [(क) और (ख)] में उल्लिखित टैरिफ आदेशों के अनुसार जयपुर, त्रिवेन्द्रम और गुवाहाटी के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर उनकी वाणिज्यिक प्रचालन करने की संबंधित तारीखों (देखें:तालिका-II) से 31.03.2022 तक की अवधि या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का नियमित निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, मौजूदा वैमानिक टैरिफ वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक ऐरा के विनियामक दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार और एएआई के साथ किए गए रियायत करार में विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटीपी समय पर पेश करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री मनोज चंदुका
प्रमुख विनियामक मामले,
अडानी कॉर्पोरेट हाऊस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास ,
एस जी हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद – 382421, गुजरात, भारत

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110003

(ii) नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए